समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नही होगी।

दूरभाष : 2529540,25275320
तार : यूनिव्हरसिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय–भवन
इन्दौर–452001

क्र.:सं.वि.क. / रैगिंग / 2023/441 दिनांक 12 JUL 2023

प्रति,

1. प्राचार्य / प्राचार्या / संचालक / निदेशक,
   विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
   जिला– इन्दौर / खंडवा / खरगोन / धार / झाबुआ / बडवानी / बुरहारनपुर / अलिराजपुर
2. विभागाध्यक्ष / निदेशक,
   समस्त अध्ययनशालाएँ
   देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विषयः–विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम के लिए प्रभावी पहल करने बाबद।

संदर्भः– क्रमांक 389 / रास / यू.ए.–3 / 2014, दिनांक 04 अप्रैल, 2014

महोदय / महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि माननीय कुलाधिपति जी की मंशानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व आपके संस्थान में उपाय कर लिए जाएं, जिससे कि रैगिंग की घटना घटित ही न हो।

1. रैगिंग की रोकथाम के लिए गठित समितियों (एन्टी रैगिंग कमेटी / एन्टी रैगिंग स्क्वाड) का आवश्यकतानुसार पुनर्गठन कर, उन्हें सक्रिय रखा जाए।
2. विगत वर्षो में हुई घटनाओं व परिलक्षित न्यूनताओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दृष्टि से व्यवस्था का पुनरावलोकन कर लिया जावें।
3. रैगिंग की रोकथाम के प्रयासो की सामयिक समीक्षा कर "जीरो टॉलरेंस नीति" का दृढता से पालन किया जाये।
4. शासन द्वारा "कोरोना 19" के संबंध मे समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए नवागत विद्यार्थियों का परिचय कराना सुनिश्चित करें।
5. शिक्षा परिसर एवं सार्वजनिक स्थलों (जहाँ रैगिंग की घटना घटित होने की संभावना हो सकती है) पर यथा संभव निगरानी रखे जाने की व्यवस्था की जावे।

रैगिंग निषेध हेतु यू.जी.सी. रेगूलेशन 2009 के तहत कार्यवाही कर, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

पृष्ठा.क्रमांकःसंविक / रैगिंग रोकथाम / (31)2023/441 दिनांक 12 JUL 2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. उपसचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 भारत।
3. कुलपतिजी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

अधिष्ठाता,(छात्र कल्याण)